प्रकीर्ण वाद संख्या २३५/२०२० (**इजराय सं.** १४८/२०१७ **एम.ए.सी.पी. सं.** २७९/२०१९)
तेजराम आदि बनाम भोले साहू आदि
<u>१२.१२.२०२०</u>

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुई। ३ बी प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण तेजराम व सूरज राम द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है, कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक ३१.०१.२०१७ एवार्ड पारित किया गया है, जिसके अनुपालन में विपक्षीगण द्वारा ₹ ६५,००० जमा किये गये हैं, जिस धनराशि को दिलाए जाने हेतु प्रार्थीगण ने याचना की है। समर्थन में प्रार्थीगण ने अपने-अपने आधार कार्ड व बैंक खाते की पास बुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई है।

प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद व इजराय/विविध वाद सं. १४८/२०१७ की पत्रावलियों एवं कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। इजराय/विविध वाद सं. १४८/२०१७ की पत्रावली पर उपलब्ध ६सी१ एम.ए.सी.पी. सं. २३५/२०१४ तेजराम आदि बनाम भोले साहू आदि में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट प्रथम, झाँसी मे पारित निर्णय दिनाँकित ३१.०१.२०१७ की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत याचिका में उक्त न्यायाधिकरण द्वारा ₹ ३,२७,००० मय ब्याज हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध एवार्ड पारित किया गया है। उक्त प्रतिकर की धनराशि याचीगण को बराबर-बराबर भाग में प्राप्त होनी है। तथा याची सं. १ व २ को अपने-अपने हिस्से की २५-२५ प्रतिशत धनराशि नकद प्राप्त होनी है तथा शेष २५ प्रतिशत ५ वर्ष उपरान्त, शेष २५ प्रतिशत ७ वर्ष उपरान्त तथा शेष २५ प्रतिशत ९ वर्ष उपरान्त प्राप्त होनी है तथा इस अवधि में याचीगण की क्षतिपूर्ति धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे बहुमूल्यकारी सावधि जमा योजना के तहत जमा रहेगी। विपक्षीगण द्वारा अब तक मात्र ₹ ६५,००० प्रतिकर की धनराशि न्यायाधिकरण में दाखिल की गयी है। कार्यालय आख्या के अनुसार भी बैंक द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार न्यायाधिकरण के सिंडीकेट बैंक शाखा गोबिन्द चोराहा, झाँसी में उक्त धनराशि जमा है। अतः मेरे विचार से प्रार्थीगण प्रकरण में जमाशुदा धनराशि ६५,०००/- न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय के प्रकाश में बराबर-बराबर भाग में आर.टी.जी.एस/नेफ्ट के माध्यम से अपने-अपने बैंक खाते में नकद दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

सिन्डीकेट बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं.२३५/ २०१४ (इजराय सं.१४८/२०१७, प्रकीर्ण वाद सं.२३५/ २०२० तेजराम आदि बनाम भोले साहू आदि) के प्रकरण में जमाशुदा क्षतिपूर्ति धनराशि मय ब्याज प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicant/ Petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1.Tejram	32500	50	Elect. Mode RTGS/NEFT	10657622205	State Bank of India	SBIN0001959
2. Suraj	32500	50	Elect. Mode RTGS/NEFT	50479795782	Allahabad Bank	ALLA0212141
Total	65000	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.23 18:14:32 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI